राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT) उत्तराखण्ड, देहरादून।

विज्ञप्ति

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT) उत्तराखण्ड द्वारा निम्न छात्रवृत्ति योजनाओं हेतु आयोजित की जाने वाली पात्रता परीक्षा हेतु अर्ह छात्र–छात्राओं से आवेदन–पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। सम्मिलित छात्रवृत्ति चयन परीक्षा दिनांक 23 दिसम्बर, 2024 (सोमवार) को प्रदेश के प्रत्येक विकासखण्ड में एक केन्द्र पर आयोजित की जाएगी।

राष्ट्रीय साधन–सह–योग्यता छात्रवृत्ति योजना (NMMSS)

शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय–साधन–सह–योग्यता योजना छात्रवृत्ति (NMMSS) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के लिए निर्धारित 1048 छात्रवृत्तियों हेतु SCERT द्वारा परीक्षा आयोजित की जाती है। इसके अन्तर्गत चयनित छात्रों को कक्षा–9 से कक्षा 12 तक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

पात्रता– उत्तराखण्ड राज्य में राज्य सरकार द्वारा संचालित राजकीय (केन्द्रीय, आवासीय तथा निजी विद्यालयों को छोड़कर), स्थानीय निकाय तथा राजकीय सहायता प्राप्त (Govt. Aided) विद्यालयों में कक्षा 8 में अध्ययनरत् छात्र–छात्रा जिन्होंने कक्षा 7 की परीक्षा 55% (एस0सी0/एस0टी0 वर्ग के लिए 50%) अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो तथा उनके माता–पिता या अभिभावक की वार्षिक आय रू0 3.50 लाख से अधिक न हो, पात्र होंगे।

डॉ0 शिवानन्द नौटियाल (Dr.SNSS) तथा राज्य योग्यता श्रीदेव सुमन (SMSS) छात्रवृत्ति योजना

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा 100 छात्रवृत्तियां डॉ0 शिवानन्द नौटियाल एवं राज्य योग्यता (SMSS) की 475 छात्रवृत्तियों हेतु परीक्षा आयोजित की जाती है। इसके अन्तर्गत चयनित छात्रों को कक्षा–9 से 12 तक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

पात्रता– उत्तराखण्ड राज्य में राज्य सरकार द्वारा संचालित राजकीय, (केन्द्रीय, आवासीय तथा निजी विद्यालयों को छोड़कर) स्थानीय निकाय तथा राजकीय सहायता प्राप्त (Govt. Aided) विद्यालयों की कक्षा 8 में अध्ययनरत् छात्र–छात्रा जिन्होंने कक्षा 7 की परीक्षा 50% (एस0सी0/एस0टी0 वर्ग के लिए 40%) अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो, पात्र होंगे। माता–पिता या अभिभावक की आय सीमा का कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

आवेदन पत्रों की प्राप्ति–छात्रवृत्ति परीक्षाओं से सम्बन्धित आवेदन–पत्र विकासखण्ड के खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों को सॉफ्टकापी में उपलब्ध कराए गये हैं। आवेदन पत्र SCERT की वेबसाइट www.scert.gov.in एवं विद्यालयी शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड की वेबसाइट schooleducation.uk.gov.in पर 16 अक्टूबर, 2024 से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

आवेदन पत्र कहाँ जमा करें– पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र आवश्यक प्रमाण–पत्रों (यथा जाति, आय एवं विकलांगता आदि) सहित संस्थाध्यक्ष द्वारा जाँचोपरान्त अग्रसारित कर सम्बन्धित विकास खण्ड के खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दिनांक 06 नवम्बर, 2024 तक जमा किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र की प्राप्ति के विलम्ब होने पर खण्ड शिक्षा अधिकारी व परीक्षा संस्था किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होंगे। किसी भी रूप में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् उत्तराखण्ड को सीधे प्रेषित किए गए आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे।